ईरान से युद्ध में यूएस ने फूंके 4 .30 लाख करोड़

इतनी राशि नेपाल जैसे देशों की जीडीपी है

वाशिंगटन, 21 सितंबर (एजेंसी). जिस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो से तीन सप्ताह में समेटने का दम भर रहे थे, वह अब सातवें महीने में प्रवेश कर एक विशाल आर्थिक दलदल का रूप ले चुका है. फरवरी में शुरू हुए इस संघर्ष में अमेरिका अब तक 45.1 अरब डॉलर (करीब 4.30 लाख करोड़ रुपये) फूंक चुका है जोकि नेपाल जैसे देश की कुल सालाना जीडीपी (लगभग 45.84 अरब डॉलर) के बराबर है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) द्वारा कांग्रेस को सौंपी गई गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से मीडिया ने रविवार को यह खुलासा किया.

आंकड़ा पिछले अनुमानों से कहीं अधिक : ताजा आंकड़ा कांग्रेसनल बजट ऑफिस के 1 अगस्त तक के 38 अरब डॉलर और जुलाई में पेंटागन के 37.5 अरब डॉलर के पिछले अनुमानों से कहीं अधिक है. इसमें अप्रत्यक्ष सैन्य-अभियान व्यय का आकलन जोड़ा गया है. राष्ट्रपति ट्रंप इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, जिससे युद्ध के जल्द समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे.

विश्लेषकों का मानना है कि यदि सैन्य टकराव इसी तरह खिंचता रहा, तो युद्ध का बिल कई विकासशील देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देगा. युद्ध के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर में तेल व प्राकृतिक गैस के जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है.

शर्तें पूरी होने तक होर्मुज बंद रहेगा : गालिबाफ

ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि जब तक अमेरिका, ईरान की सारी शर्तें पूरी नहीं होतीं, होर्मुज नहीं खोला जाएगा. यह बयान तब आया है जब ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को शर्तें भेज दी हैं और ट्रंप के जवाब का इंतजार है. गालिबाफ ने कहा कि कूटनीति में ईरान का रुख साफ, सही और बिना मोलभाव वाला है.

अमेरिका पर हर महीने बढ़ रहा 25 हजार करोड़ का बोझ

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, 45.1 अरब डॉलर के इस आंकड़े में पश्चिम एशिया में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है. सीबीओ का अनुमान है कि इस संघर्ष को जारी रखने के लिए अमेरिका को अब भी हर महीने 2 से 3 अरब डॉलर (25 हजार करोड़ रुपये) का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा.

सिर्फ जेब से रुपए बरामद होना काफी नहीं : हाईकोर्ट

नसीहत : रिश्वत की मांग साबित होना जरूरी

नवभारत न्यूज नेटवर्क रायपुर, 21 सितंबर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल रिश्वत के रूप में इस्तेमाल किए गए नोटों की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को बिना किसी संदेह के साबित न कर दे. सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अकाउंटेंट द्वारा दायर अपील पर 18 सितंबर को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की 'मांग और स्वीकृति' की प्राथमिक शर्त को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा. इसके साथ ही रिश्वत की मांग साबित करने के लिए पेश किए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में भी गंभीर खामियां पाई गईं. उच्च न्यायालय ने सूरजपुर की विशेष अदालत के मार्च 2017 के फैसले को रद कर लेखापाल को रिश्वतखोरी के सभी आरोपों से बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मां सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित एक स्कूल की मान्यता के एवज में लेखापाल ने समिति के अध्यक्ष से 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

कब्जे की सूचना - (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री राजेश खेरनार श्रीमती कविता (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10533535)	पीएच नं. 12, आबादी ख.नं 144 का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, वार्ड N13, अम्बेडकर नगर, निंबोला, बौद्ध मंदिर, बुरहानपुर, म.प्र., भारत, 450331 क्षेत्रफल का माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 406.00, 395.00	रू. 2,23,716/- (दो लाख तेईस हजार सात सौ सोलह मात्र)	09/01/ 2026	17/09/ 2026

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: ब्रांच ऑफिस - 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर - 452001, मध्य प्रदेश या कॉपोरेट ऑफिस - प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 22.09.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	63902967	होम लोन	12-Sep-2026	2,50,797.84/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नामः 1. हरिसिंह काना 2. सीमाबाई हरिसिंह

संपत्ति का पताः कुल 900 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जो लैंड सर्वे नंबर 368, पीएच नंबर 61, वार्ड नंबर 09, ग्रामः जलवाल, तहसीलः खाचरौद, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456224 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः रतनलाल, उत्तरः भुवन सिंह का खुला प्लॉट, दक्षिणः गुलाब सिंह।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 22.09.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

बुर्का–नकाब बैन करेंगी मेलोनी

स्कूलों में सीमित की जाएगी विदेशी छात्राओं की संख्या

रोम, 21 सितंबर (एजेंसी). की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एलान किया कि वो अपनी सरकार के सामने एक प्रस्ताव पेश करेंगी. प्रस्ताव में स्कूलों में हर क्लास में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और वहां बुर्का और नकाब पर रोक लगाने पर चर्चा करेंगी. मेलोनी ने रोम में अपनी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ़ इटली' के युवा संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये एलान किया है. नियमों के तहत विदेशी छात्रों के उन पेरेंट्स को इटैलियन भाषा की क्लास करनी होगी जिनके बच्चों को स्कूल व्यवस्था में घुलने-मिलने में दिक्कत है. कानून बनने के लिए सरकार की मंजूरी के बाद संसद से 60 दिनों के भीतर संसद से मंजूरी लेनी होगी. अभी फ्रांस और चीन समेत दुनिया के 24 देशों में बुर्का और नकाब पर बैन है. इटली में अगले साल 2027 में आम चुनाव होने वाले हैं. पीएम मेलोनी ने हाल ही में अपनी सरकार के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का जश्न मनाया है. मेलोनी ने इटली के युद्ध-बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बनाया था.

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
जहाँ निरन्तर विकास ही लक्ष्य है

निविदा विज्ञप्ति कमांकः 175 / ई.टी./2026-27 — दिनांक : 21.09.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, विस्तृत विवरण म.प्र.शासन वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निर्धारित शुल्क भुगतान कर कय किये जा सकते है।

अ. क्र.	पोर्टल टेण्डर क्रमांक व दिनांक	कार्य का नाम	निविदा राशि (रुपये में)	अर्नेस्ट मनी (रूपये में)	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक
1	2026_DTCP_ 536179_1 15-09-2026	MODIFICATION / SHIFTING OF 220 KV DCDS INDORE (400| KV) MANGLIYA / JAITPURA LINE FROM LOC NO.45 TO 62 OF MPPTCL DUE TO UNDER CONSTRUCTION 60 M WIDE MR-11 ROAD OF IDA INDORE (1st Call)	11664852	116648	05-10-2026

नोटः निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल विभागीय वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
इन्दौर विकास प्राधिकरण

संसदीय चुनाव में पुतिन का दबदबा बरकरार

- यूनाइटेड रशिया ने जीतीं 450 में 355 सीटें

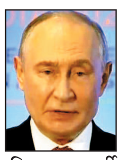

मास्को, 21 सितंबर (एजेंसी). रूस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समर्थित सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने अपना बहुमत बरकरार रखा है.

शुरुआती नतीजों के मुताबिक, पार्टी को एक बार फिर संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा में बंपर वोट मिले हैं और आंकड़ा प्रचंड बहुमत को पार कर चुका है. यह चुनाव ऐसे समय हुआ, जब कई विपक्षी उम्मीदवार चुनावी मैदान से बाहर थे और सरकार पर मीडिया तथा राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण के आरोप लग रहे हैं.रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक, 95प्रश से ज्यादा मतदान केंद्रों की मतगणना के बाद यूनाइटेड रशिया को पार्टी लिस्ट के आधार पर डाली गई वोटिंग में करीब 58प्रश वोट मिले हैं. रूस की 450 सदस्यीय स्टेट ड्यूमा में 225 सांसदों का चुनाव पार्टियों को मिले वोटों के आधार पर होता है, जबकि बाकी 225 सीटों पर सीधे उम्मीदवार चुने जाते हैं.सीधे उम्मीदवारों वाली सीटों में भी यूनाइटेड रशिया का दबदबा दिखाई दिया. पार्टी के उम्मीदवार 208 सीटों पर आगे रहे. केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख एला पैमफिलोवा ने कहा कि शुरुआती नतीजों के अनुसार यूनाइटेड रशिया को कुल 450 में से करीब 355 सीटें मिल सकती हैं.

यह 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के हमले के बाद हुआ पहला संसदीय चुनाव है. मतदान यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों में भी कराया गया, जिन पर रूस ने कब्जा कर बाद में अपने देश में विलय की घोषणा कर दी थी. 2014 में रूस में मिलाए गए क्रीमिया में भी मतदान हुआ. यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में कराए गए चुनाव को अवैध बताया है. चुनाव से पहले रूस में विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी चर्चा में रही. युद्ध की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने वाली उदारवादी याब्लोको पार्टी को पिछले महीने रूस के सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी लिस्ट वाले चुनाव से बाहर कर दिया था.

NAME CHANGE

I **NAFISA** Here By declare that I have change My name as **NAFISA EZZY** so from now in future I will be known by my new name **NAFISA EZZY** for all future purposes.
Address-
W/O QURESH EZZY
VINOBA MARG BOHRA BAKHAL WARD NO.1
MANAWAR- 454446

NAME CHANGE

I **QURESH** Here By declare that I have change My name as **QURESH EZZY** so from now in future I will be known by my new name **QURESH EZZY** for all future purposes.
Address-
S/O SHABBIR HUSAIN
VINOBA MARG, MANAWAR
DISTT. DHAR 454446

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. स्व. फारुख खा पुत्र जाहिद खान (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 3/55, एबी रोड, राऊ, नई बस्ती, रंगवासा इंदौर, म.प्र. 453331, 2. फरीदी बी पत्नी फारुख खा (सह-उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी) 657, एबी रोड, राऊ, नई बस्ती, रंगवासा इंदौर, म.प्र., 453331, 3. वसीम मंसूरी पुत्र अकरम मंसूरी (गारंटर) 56/7, मुसलमान मोहल्ला, राऊ, रंगवासा इंदौर, म.प्र., 453331, 4. श्री इरफान खान पुत्र फारुख खा (कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नंबर-3/55, नई कॉलोनी (नई बस्ती), एबी रोड राऊ नई बस्ती, रंग वासा, इंदौर, म.प्र. 453331, 5. आरिफ खा पुत्र जाहिद खान (युवा भाई) (कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नं. 3/55, नई कॉलोनी (नई बस्ती) एबी रोड राऊ, नई बस्ती, रंग वासा, इंदौर, म.प्र. 453331 ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि: ऋण खाता सं. 101041510007 डिमांड नोटिस की तारीखः 22-09-2026 बकाया राशिः रू. 21,26,000/- (इक्कीस लाख छब्बीस हजार मात्र) 21-09-2026 तक एनपीए दिनांक : 19.09.2026	प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेजः खुद के इस्तेमाल वाली रिहायशी प्रॉपर्टी, जिसका कुल एरिया 1750 Sq. Ft. (162.58 Sq. Mtrs.) है। यह प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 353 पैकी, नगर पंचायत राऊ, ग्राम राऊ, तहसील और ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में बुक नंबर 1, सीरियल नंबर 1370, पेज नंबर 23-28, तारीख 27-07-1998 पर रजिस्टर्ड है। यह प्रॉपर्टी फारुख खां पुत्र जाहिद खान के नाम पर है। सीमाएँ: पूर्वः चेतन चौरसिया का घर, पश्चिमः खुली जमीन, उत्तरः पीछे की गली, दक्षिणः रास्ता

दिनांकः 22.09.2026, स्थानः नोएडा — अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड WESTERN CAP
क्षेत्रीय कार्यालय : ऑफिस नं. 203, ओम गुरुदेव प्लाजा, सावित्री एम्पायर, सयाजी होटल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) - 452010.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **13.07.2026** को जारी किया था। इसके तहत लोन खाता नं. **WRLMH-H-UJJ0112240614** के संबंध में बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान **1. श्री चेतन राजेश यादव (ऋणी) 2. श्रीमती दिव्या चेतन यादव (सह-ऋणी-1)** को नोटिस में उल्लिखित राशि **रुपये 20,23,328.44 (रुपये बीस लाख तैइस हजार तीन सौ अठ्ठाइस एवं चवालीस पैसे मात्र)**, ब्याज एवं अन्य प्रभारों का भुगतान उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

चूँकि उधारकर्ता उक्त राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ताओं एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज **दिनांक 18.09.2026** को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें, और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन **वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड** के पक्ष में **रुपये 20,23,328.44 (रुपये बीस लाख तैइस हजार तीन सौ अठ्ठाइस एवं चवालीस पैसे मात्र)** और उस पर पूर्ण भुगतान होने तक लगने वाले आगे के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों के अधीन होगा।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने (Redeem) के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे मकान संपत्ति नं. 69, प.ह.नं. 71 (सरल नं. 4212), गांव कुवारिया चंदेसरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.), क्षेत्रफल 3136 वर्ग फीट, वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड के पक्ष में बंधक रखी गई सुरक्षित संपत्ति।
चर्तु:सीमा:: पूर्वः कैलाश का मकान, पश्चिमः सामान्य रोड, उत्तरः सामान्य रोड एवं मंदिर, दक्षिणः राजेश का मकान

स्थान : उज्जैन
दिनांक : 18.09.2026

प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड

बेटे के लिए वोट नहीं मांगूंगा : हुमायूं

- बंगाल में प्रचार से नेताओं की दूरी
- रेजीनगर में हुमायूं का प्रचार से इनकार

नवभारत न्यूज नेटवर्क कोलकाता, 21 सितम्बर. पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव से पहले सियासी ड्रामा जारी है. गिरफ्तारियों के बीच आम जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान कर दिया है.

उन्होंने कहा है कि वह प्रचार से दूरी बना रहे हैं. कबीर ने रेजीनगर से अपने बेटे गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया है. कबीर से सीट छोड़ने के बाद ही यहां उपचुनाव हो रहे हैं. इससे पहले गिरफ्तारियों को लेकर यह सीट खासी चर्चा में बनी हुई है. कबीर पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियों से नाराज चल रहे हैं. ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह प्रचार नहीं करेंगे. उन्होंने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर अपने बेटे के लिए प्रचार करते रहेंगे. आजाद ने भी कहा, 'हुमायूं कबीर मेरे पिता हैं. पार्टी के हित में जो फैसला उन्होंने लिया है, वह सभी पर लागू है और मुझ पर भी. कबीर ने गिरफ्तारियों पर कहा, 'पुलिस चुन चुनकर पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है. अब तक चार नेताओं को रेजीनगर और शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके बाद मैंने उपचुनाव प्रचार से हटने का फैसला किया है.

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड SBFC
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट संख्या 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुरिया रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059
शाखा का पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, 8 तारणी रोड, होटल अभिलाषा के पास, एबी रोड, देवास मध्य प्रदेश-455001।

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का कब्जा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 (जिसे आगे सरफेसी अधिनियम कहा गया है) के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड पूर्व में एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/उधारकताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए लिया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल संपत्ति को खरीदने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। उक्त अचल संपत्ति सुरक्षित ऋणदाता के कब्जे में है तथा इसकी बिक्री जैसी है, जहाँ है के आधार पर, जैसी है, जो है के आधार पर तथा जो कुछ भी है, उसी आधार पर की जाएगी। नीचे संबंधित कॉलम में प्रत्येक संपत्ति के सामने नीलामी का आरक्षित मूल्य दिया गया है। बयाना राशि (ईएमडी) संबंधित आरक्षित मूल्य की 10% होगी। इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में बनवाकर, अपनी बोली के साथ निम्नलिखित एसबीएफसी शाखा कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगाः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, 8 तारणी रोड, होटल अभिलाषा के पास, ए.बी. रोड, देवास, मध्य प्रदेश - 455001। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 03/10/2026 को दोपहर 3:00 बजे तक है। सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री प्रतिफल की कम से कम 25% राशि बोली के साथ जमा की गई बयाना राशि सहित बिक्री की पुष्टि वाले दिन ही अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी। बिक्री प्रतिफल की शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक होगा। उक्त अचल संपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का पता	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर.पी.)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आर.पी. का 10%)	कुल ऋण 30 जून 2025 तक बकाया
1. रूपेश सिंह चौहान (आवेदक), 2. कोमल चौहान (सह-आवेदक 1) पताः प्लॉट नंबर 38 - L.I.G. पर स्थित घर, मुखर्जी नगर, कुल जमीन का क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर, तहसील और ज़िला देवास (म.प्र.) - 455 001 में स्थित।	डिमांड नोटिस की तारीखः 22 नवंबर 2025 रू. 27,81,665/- (सत्ताईस लाख इक्यासी हजार छह सौ पैंसठ मात्र) 21 नवंबर, 2025 तक, साथ ही 22 नवंबर, 2025 से बिना लागू हुआ ब्याज,	प्लॉट नंबर 38 - L.I.G., मुखर्जी नगर पर स्थित घर और जमीन का पूरा हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर है; यह तहसील और ज़िला देवास (म.प्र.) - 455 001 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में घर नंबर 87, पश्चिम में सड़क, उत्तर में घर नंबर 39, दक्षिण में घर नंबर 37।	रु. 28,84,815/- (अट्ठाईस लाख चौरासी हजार आठ सौ पंद्रह मात्र)	रु. 2,88,481/- (दो लाख अठासी हजार चार सौ इक्यासी मात्र)	रु. 29,85,650/- (उन्तीस लाख पिच्यासी हजार छह सौ पचास मात्र)
1. श्री शकील शेख (आवेदक) 2. श्रीमती नसरीन बी (सह-आवेदक 1), 3. श्री तंजिल शेख (सह-आवेदक 2) पताः 11/2, वार्ड नंबर 40, मुक्ति मार्ग, देवास- 455 001। और साथ ही, पताः 1. श्री शकील शेख (आवेदक), पताः दुकान नंबर 20 छत की ऊंचाई तक, जो प्राधिकरण मार्केट, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.)-455 001 के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है।	डिमांड नोटिस की तारीखः 3 नवंबर, 2025 रू. 19,44,563/- (उन्नीस लाख चवालीस हजार पाँच सौ तिरेसठ मात्र) 3 नवंबर, 2025 तक, साथ ही 4 नवंबर, 2025 से बिना लागू किया गया ब्याज।	प्राधिकरण मार्केट, ए. बी. रोड, देवास (म.प्र.)-455 001 में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकान नंबर 20 छत की ऊंचाई तक की पूरी प्रॉपर्टी, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः दुकान नंबर 19, पश्चिमः दुकान नंबर 21, उत्तरः अशोक ट्रांसपोर्ट, दक्षिणः खुला- आम रास्ता	रु. 27,78,300/- (सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ मात्र)	रु. 2,77,830/- (दो लाख सतहत्तर हजार आठ सौ तीस मात्र)	रु. 20,81,436/- (बीस लाख इक्यासी हजार चार सौ छत्तीस मात्र)

1. निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र में भरी हुई सीलबंद बोली/प्रस्ताव, बयाना राशि (ईएमडी) तथा स्व-सत्यापित केवाईसी दस्तावेजों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 10/10/2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक है। उक्त दस्तावेज इस नोटिस में ऊपर उल्लिखित प्रधान/शाखा कार्यालय के पते पर जमा किए जाने हैं। जो निविदाएं/बोलियां पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं होंगी अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होंगी, उन्हें अमान्य माना जाएगा तथा तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। 2. बयाना राशि (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से देवास, मध्य प्रदेश - 455001 में देय, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जमा की जानी होगी। असफल बोलीदाताओं को उक्त बयाना राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 03/10/2026, प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक है। 4. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि अर्थात नीलामी की तिथि 12/10/2026 है। नीलामी उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। निविदा/बोली अधिकृत अधिकारी तथा सभी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी। 5. बोली की शुरूआत रू. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की वृद्धि राशि से होगी। इसके बाद सभी बोलियां इसी वृद्धि राशि के गुणकों में बढ़ाई जाएंगी। 6. संपत्ति उस बोलीदाता को बेची जाएगी जिसने सर्वाधिक बोली राशि उद्धत की होगी। आपसी बोली प्रक्रिया आयोजित करना पूर्णतः अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा। तथापि, अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को स्थगित/आगे की तिथि तक टालने का पूर्ण अधिकार होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नहीं बेची जाएगी। 7. नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि पर ऋण समझौते के अनुसार लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज तथा अन्य आकस्मिक खर्चे, लागत आदि की राशि, उनकी पूर्ण वसूली होने तक देय एवं भुगतान योग्य रहेगी। 8. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त प्रधान/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। 9. सभी प्रकार की फीस, शुल्क, कर, जिनमें हस्तांतरण/हस्तांतरण विलेख संबंधी शुल्क, बकाया विद्युत शुल्क, नगर पालिका/स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क आदि शामिल हैं, इनका भुगतान केवल क्रेता द्वारा किया जाएगा। 10. नीलामी क्रेता/सर्वोच्च बोलीदाता को आयकर नियमों के अनुसार लागू टीडीएस, जो वर्तमान में 1% है, बिक्री के संबंध में एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (एसबीएफसी) के पैन के विरुद्ध जमा करना होगा तथा बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज, जो वर्तमान में फॉर्म 26क्यूबी के नाम से जाना जाता है, आरएफएल के पास जमा करना होगा। उक्त टीडीएस राशि नीलामी क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल की राशि में से काटी जाएगी। 11. सुरक्षित संपत्ति पर देय सभी बकाया/शेष राशियां/अवैतनिक कर, जिनमें बिक्री कर, संपत्ति कर आदि तथा अन्य कोई भी वैधानिक अथवा अन्य देयताएं शामिल हैं, उनका भुगतान क्रेता द्वारा अलग से किया जाएगा। 12. सुरक्षित ऋणदाता के संज्ञान में ज्ञात भार/दायित्वः शून्य 13. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25% राशि (ईएमडी को समायोजित करने के पश्चात) तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर भुगतान करनी होगी। निर्धारित बिक्री मूल्य का भुगतान करने में असफल रहने की स्थिति में, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जमा की गई समस्त राशि, जिसमें ईएमडी भी शामिल है, जब्त कर ली जाएगी। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में शेष 75% राशि के भुगतान हेतु उचित अतिरिक्त समय प्रदान करना पूर्णतः अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा। 14. अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बताए गए हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण, चूक आदि के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। 15. बोली हस्तांतरणीय नहीं होगी। क्रेता/सफल बोलीदाता तथा/या उनके माध्यम से या उनके अधीन अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के संबंध में अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार नहीं होगा। 16. बैंकर चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट ह्लमेसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेडह्ल के पक्ष में, देवास, मध्य प्रदेश - 455001 में देय होना चाहिए। 17. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पूर्व कर दें। ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष कोई राशि, यदि हो, तो ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता बिक्री की तिथि से पूर्व एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को देय संपूर्ण राशि का भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोकी जा सकती है। 18. उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। वे ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को खरीदने के इच्छुक खरीदारों/क्रेताओं को ला सकते हैं, जो बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संपत्ति खरीदने के इच्छुक हों। 19. इच्छुक पक्ष आगे की जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा अपना आवेदन/बोली जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अधिकृत अधिकारीः श्री आलोक कुमार शर्मा मोबाइल नंबरः +91 9826597104 ई-मेलः alok.sharma2@sbfc.com अधिकृत अधिकारीः श्री सत्यनारायण चौहान मोबाइल नंबरः +91 9993090867 ई-मेलः satyanarayan.chouhan@sbfc.com 20. स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित सूचना और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र में किसी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना मान्य एवं प्रभावी होगी।

स्थानः देवास, मध्य प्रदेश - 455001
दिनांकः 22 सितंबर, 2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी
मेसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

विकसित भारत अभियान

कार्यालय छावनी परिषद, महू (म.प्र.)
फोन 07324-273226

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण से अनुरोध है कि वर्षा जल का संचयन करे जिससे की भूमि मे जल स्तर का सुधार हो सके तथा समस्त कुएँ एवं नलकूप खननों के जल स्तर में वृद्धि हो एवं वर्ष भर नागरिकों को जल की आपूर्ति अबाध रूप से होती रहे।

अतः समस्त नागरिक अपने-अपने घरों की छतो का पानी का संचयन जनहित में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, महू

FORM No.
[See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti Failing which by Publication.

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building),
Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur - 482001, M.P.

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.

RC/108/2016 — 11-09-2026

UCO BANK
Versus
SHRI NANDA ALIAS NANDRAM (DECEASED) THROUGH LEGAL HEIRS-

To
(CD1) SHRI NANDA ALIAS NANDRAM (DECEASED) THROUGH LEGAL HEIRS-
(I) SMT. RAMKUMAR BAI, WD/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM.
(ii) SHRI RAJARAM S/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM.
(iii) SHRI SURESH S/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM.
(iv) SMT. SUGAN BAI W/O SHRI PUNJRAJ.
(v) SMT. MANGI BAI W/O SHRI MANOHAR.
R/O GRAM MADHAVPURA (KAILOD), TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.
(CD2) SHRI RAJARAM S/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM,
GRAM MADHAVPURA (KAILOD), TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.
(CD3) SHRI PRAKASH JAIN,
GRAM-BHAGORA, TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.
(CD4) SHRI RAMLAL S/O RAM RATAN,
GRAM-MADHAVPURA, TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.

Whereas you were ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated **11/04/2016** in **OA/290/2013** to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of **Rs. 1474383.00 (Rupees Fourteen Lakhs Seventy Four Thousands Three Hundred Eighty Three Only)** along with pendentelite and future interest @12.00% Simple Interest Yearly w.e.f. **16/12/2013** till realization and costs of **Rs. 17000 (Rupees Seventeen Thousands Only)**, and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **12/11/2026 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property

P.H. No. 30 (New P.H. No. 20 as per valuation), Kh. No.2 (New No. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 as per valuation), admeasuring area 6.762 hectares, Kh.No.3(new no. 3/1 as per valuation), admeasuring area 0.053 hectares, Kh. No.4(new no. 4/1, 4/2 as per valuation), admeasuring area 2.890 hectares, total area admeasuring 9.705 hectares, situated at Madhavpura, Tehsil: Mahu, District : Indore, M.P.; belonging to Shri Nanda S/o Shri Gulab Bheel.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **11.09.2026.**

SEAL

Recovery Officer-II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR